न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/199/2013

नेमीचंद आदि बनाम रामेश्वर आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक – 20.02.2018

प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी रामेश्वर कि ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि यह कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 1.55 है0 ख0न0 92 रकबा 2.58 है0 ख0न0 101 रकबा 3.78 है0 ख0 न0 110 रकबा 1.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 8.95 है0 वाके ग्राम शिवराना का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। यह कि भूमि खसरा नम्बर 54/2 रकबा 2.81 है। वाके ग्राम शिवराना का बास में अवस्थित है उक्त कृर्षि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्व अर्जित है बाकि अन्य भूमियां आवेदन पत्र की मद संख्या एक में वर्णित है पैतृक कृषि भूमियों में पिता के जीवन काल में पुत्र का पिता के समान ही एक अधिकार होता है पुत्र के जीवित होते हुये पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र अपने दादा की सम्पति में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी संख्या 2 ता 4 जो कि प्रतिवादी संख्या एक पौत्र व पौत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 पुत्र है प्रतिवादी संख्या 7 को जो कि वादग्रस्त भूमियों में जो पौत्र के है उनमें अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है इस कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं खारिज किया जाना उचित आवश्यक व न्याय संगत है। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 को अपने पिता की सम्पति में उद्घोषणा करवाने अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने के वाद ही वादीगण अपने पिता के खिलाफ वाद कर सकते है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी संख्या 2 ता 4 अपने दादा की सम्पति में उद्घोषणा चाहने बाबत अनुतोष की मांग कि है वो चलने योग्य नहीं है। यह कि कृषि भूमि 54/2 प्रतिवादी संख्या 1 कि स्व–अर्जित सम्पत्ति है। मे से वादीगण किसी प्रकार कोई एक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते न्यायलय को धोखा व मुगलाते में रखने के लिए सम्पूर्ण जमीन को पैतृक होना बताकर यह झूटा दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि वादीगण का वाद मय हर्जा कर खारिज फरमाया जावें।

आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील वादीगण को दिलवाई गई। उक्त आवेदन का वादीगण के द्वारा मद संख्या वार जबाब प्रस्तुत किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 कि ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का तथा वादीगण के अधिवक्ता कि ओर से उक्त जा.दी. के जवाब का भी अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण के अधिवक्ता कि ओर से जवाब आवेदन में उल्लेखित किया है कि यह आवेदन की मद संख्या 1 सही है। अतः स्वीकार है। यह कि आवेदन की मद संख्या 2 जिस प्रकार से तहरीर है गलत है। जबकि वादीगण द्वारा दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। तो प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर ने खसरा सं. 54/1 रकबा 2.58 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2002 को तस्दीक करवाया। अगर पिता के जीवनकाल में पुत्र का पिता के साथ हक अधिकार होता है तो पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र आपे दादा की पैतृक सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि वादी सं. 2 ता 4 का पिता नेमीचंद मानसिक रूप से विकृत है तो स्वतः ही पौत्र को अधिकार प्राप्त हो गए है। यह कि आवेदन की मद संख्या 3 गलत है। अतः अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत है। अतः अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत है। अतः अस्वीकार है। प्रतिवादीगण सं. 1 रामेश्वरलाल का माननीय न्यायालय हाजा में दावा विचाराधीन था। तो दिनांक 28.06.2002 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था। साथ ही वादीगण के अधिवक्ता ने अपने दावे के कथनों की ही पुनरावृति की।

Web Copy - Not Official

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का भी अवलोकन किया गया। जिसकी मद सं. 2 में वादीगण स्वयं नेमीचंद को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे है जबकि स्वयं नेमीचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 13 को इसी पत्रावली मे कोई ठोस साक्ष्य सबूत या दस्तावेजात के अभाव में स्वीकार किया जाकर उक्त नेमीचंद को प्रतिवादी सं. 7 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 के प्रावधानानुसार *''रोग या अंगविकार– पुरानी हिन्दू विधि में अनेक निरर्हतायें मान्य थी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने उन्हें बहुत कम कर दिया है। धारा 28 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सम्पति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटि या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबंधित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर चाहे वह कोई क्यों न हो, निर्हित न होगा। शीलभ्रष्टता भी निरर्हता नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत अब निरर्हतायें बहुत थोड़ी सी रह गई है।''* उपरोक्तानुसार सारतः प्रकरण दावा में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मण्गढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

नेमीचंद आदि बनाम रामेश्वर आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद / 199 / 2013 निर्णय दिनांक– 20.02.2018

वादीगण अभिभाषक व प्रतिवादीगण के अभिभाषक की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.02.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आज तारीख 20.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मुहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)